ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 159-161
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

# दलित मानवाधिकार एवं कानून की वास्तविकता (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

**प्रमोद कुमार**
असिस्टेन्ट प्रोफेसर– समाजशास्त्र विभाग, जितेन्द्र कुमार यादव कॉलेज, गया (बिहार), भारत

Received- 19.08.2020, Revised- 23.08.2020, Accepted - 26.08.2020 E-mail: - dr.ramanyadav@gmail.com

***सारांश :*** ***आज भी प्रजातांत्रिक और संरक्षणात्मक व्यवस्था से भी न तो उचित मार्ग प्रशस्त्र हुआ है और न ही इन समुदायों के लिए कोई अभिप्राय बन पाया है। भारत में प्रतिनिधि सरकार एक साधक और शासक है, जो जाति समूहों और उच्च लोगों से युक्त राजनीतिक दलों द्वारा शासित है। समानता, समान अवसर और तदनुरूप जो आर्थिक रूप से गरीब थे और सामाजिक व शास्त्रोक्त विधि से निम्न थे, वे आज भी पिछड़े हैं और दूसरे से निरंतर निम्न स्तरीय ढंग से व्यवहृत किए जाते हैं।***

***कुंजीभूत शब्द– प्रजातांत्रिक, संरक्षणात्मक, व्यवस्था, मार्ग प्रशस्त्र, समुदायों, अभिप्राय, प्रतिनिधि, सरकार ।***

अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए सरकार द्वारा संविधान में निहित संरक्षणात्मक उपायों के संदर्भ में बनाए गए अथवा किए गए प्रयासों का वांछित अथवा तदनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता है। अतः इस संबंध में अनुसूचित जाति एवं जनजातियां संबंधित आयोग द्वारा समय–समय पर सुधारात्मक उपाय सुझाए जाते रहे हैं, जिसके अनुसार संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त सुविधाओं को वर्ष 1990 तक बढ़ाया गया और विगत सरकारों ने इस अवधि में और वृद्धि कर दी है।

इतना सब कुछ होते हुए भी वंचित वर्गों की दशा में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। सन् 1969 में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के विकास हेतु गठित समिति ने अपनी व्याख्या में इंगित किया था कि अनुसूचित जातियों को मानवीय स्थिति प्राप्त होगी और मदद मिलेगी। सदियों से उनके लिए अपेक्षित दुर्लभ सामाजिक न्याय की प्राप्ति में सहायक हो सकेगी, किंतु हाल के वर्षों के अनुभवों से इनकी स्थिति में कोई परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता है, बल्कि कमजोर वर्गों विशेषकर दलित, आदिवासी एवं पिछड़े वर्गों के उत्पीड़न में वृद्धि हुई है।

संविधान द्वारा दलितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के नियम–कानून बनाने के बावजूद भी दलित उत्पीड़न में कमी नहीं हुई। दलित उत्पीड़न के मामले में इस समय राजस्थान, हरियाणा प्रथम स्थान पर है। देश को आजाद हुए लगभग 60 वर्ष हो चुके हैं, किंतु उक्त प्रदेशों में आज भी सवर्ण जातियों (जाट, राजपूत) द्वारा हर तरह से दलितों का शोषण किया जा रहा है।

राजस्थान में कुछ वर्षों पूर्व घटित एक घिनौनी हृदयविदारक घटना के मुताबिक–बेड़कला गांव में मोहन लाल मेघवाल का परिवार रहता था। उनके परिवार में चार पुत्र, पत्नी एवं मां हैं। मोहन लाल एक 45 वर्षीय शिक्षित व्यक्ति था। वह बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के विचारों से प्रभावित एवं उनके द्वारा किए गए दलित संघर्ष से प्रेरित था। वह डॉ. अम्बेडकर का परमभक्त एवं अनुयायी थी। दलित वर्ग की उन्नति एवं विकास के कार्यक्रमों में हमेशा बढ़–चढ़कर भाग लेता था। उसका शिक्षित होना एवं लोगों को शिक्षित करने का कार्य ही उसकी मौत का कारण बना।

बात बहुत पुरानी नहीं है। बेड़कलां में प्रारंभ से ही पंचायतीराज के चुनावों में प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं होता था। इस गांव पर अपना दबदबा रखने वाला इसी गांव का निवासी भूतपूर्व कांग्रेसी विधायक शिवदान सिंह के इशारे पर पंचायत के सभी प्रतिनिधियों का चयन निर्विरोध रूप से हो जाता था। शिवदान सिंह की मर्जी के खिलाफ न तो कोई पंचायत प्रतिनिधि का चयन होता था और न ही कोई इस मनमर्जी का विरोध करने की हिमाकत करता था। यहां तक कि सरपंच का चुनाव भी निर्विरोध हो जाता था। सन् 2000 के पंचायत के चुनाव में सर्वप्रथम कोई दलित वर्ग का व्यक्ति वार्ड पंच के लिए चुनाव लड़ा एवं विजयी हुआ। इसके इस प्रयास ने तो मानो जैसे वर्षों से ठहरे हुए सामंती तालाब के जल में कंकड़ मारकर हलचल पैदा कर दी हो। समय बीता एवं सन् 2005 का चुनाव पुनः आया। उसमें मोहन लाल ने पुनः सरपंच के लिए पर्चा भरा, किंतु सन् 1955 के पश्चात् दो से अधिक संताने होने के कारण शिवदान सिंह ने उसका पर्चा निरस्त करवा दिया फिर भी मोहन लाल ने अपनी मां को प्रत्याशी बनाया, किंतु क्रूर शिवदान सिंह की शक्ति के आगे उसकी एक न चली। अंततः उसी के पक्ष का थानाराम जीतकर सरपंच बना। मोहन लाल 1 मार्च, 2005 को सुबह 8 बजे पाली जाने के

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

लिए शायद अंतिम बार प्रस्थान किया था। जब मोहन लाल गांव के अंतिम चौराहे (आखरिया चौराहा) पर पहुंचा ही था कि शिवदान सिंह, उसका भाई दलेहर सिंह एवं पुत्र टीकम सिंह एक ट्रैक्टर पर आए और उसे पकड़कर चाकुओं से उसके शरीर पर 17 घाव कर गोद डाला। मोहन लाल किसी तरह छिटककर जान बचाने हेतु इधर–उधर भागने के लिए जगह ढूंढने लगा, पर उसे जगह मिल न सकी, क्योंकि शिवदान सिंह के लोग पूर्व नियोजित ढंग से उस क्षेत्र को चारों तरफ से घेरकर बैठे थे। वह खूंखार दरिंदों के चंगुल से बच न सका। दरिंदों ने जख्मी मोहन लाल को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया एवं उसके ऊपर ट्रैक्टर चलाकर उसकी निमर्म हत्या कर दी। इतने बड़े हत्याकांड की न पुलिस प्रशासन ने ही निष्पक्ष जांच की और न ही शिवदान सिंह के खिलाफ कोई उचित धारा ही लगाई गई। दलित विधायकों ने भी डर के नाते स्व. मोहन लाल के परिवार की कोई सुधि न ली।

इसी तरह से दलितों के उत्पीड़न में हरियाणा राज्य भी किसी मायने में पीछे नहीं है। यहां पर भी दबंग सवर्णों द्वारा आए दिन दलितों के साथ अत्याचार के तांडव प्रायः देखने को मिलते हैं। 10 मई, 2007 को राष्ट्रीय सहारा न्यूज चैनल के अनुसार जिला हिसार में होशियार सिंह नामक एक दबंग जाट है। वह अपनी जमींदारी ताकत के लिए आज भी प्रसिद्ध है। दलित राजू ने न्यूज चैनल को यह जानकारी दी कि बिना कोई कसूर बताए ही होशियार सिंह जाट ने उसके तीन जवान बेटों के साथ उसकी पत्नी को नंगा करके घर वापस भेजा। पीड़ित दलित नग्न अवस्था में पास के थाने में गए और सरपंच से भी मिले, किंतु उन्हें हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। यहां तक कि हरियाणा प्रदेश में 64 विधायक दलित वर्ग के हैं, किंतु उन्होंने भी भय के कारण पीड़ित परिवार की कोई मदद नहीं की।

दलितों के उत्पीड़न में उत्तरप्रदेश पीछे क्यों रहे। इस राज्य में तो सदियों से दबंग सवर्णों द्वारा दलितों के साथ विभिन्न प्रकार के अत्याचार होते रहे हैं, जिनमें उदाहरणार्थ एक का विवरण देखें, घटना सितम्बर 2004 की है। बागपत, दिन दहाड़े कोतवाली क्षेत्र के नौरोजपुर गूजर के गांव में सुरेन्द्र जाट गिरोट ने बोगी ले जा रहे दलित युवक पर बेसुमार गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। सुरेन्द्र जाट ने मृतक के चाचा से दो लाख रूपए मांगे थे। इसका विरोध करना ही युवक की हत्या का कारण बना। हत्या के केस में गांव के चार दलित भी नामजद कराए गए, लेकिन पुलिस किसी को गिरतार नहीं कर सकती है।

अस्पृश्यता एवं अपराध के होने पर वर्तमान में की जा रही पुलिस कार्यवाहियों के संबंध में पुलिसजन से प्राप्त आंकड़ों का सामान्यजन से प्राप्त आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर इस अपराध में दोनों वर्गों के अनुसार अभियुक्तों के अपराध पंजीकरण, अन्वेषण व बंदी बनाने तथा दंडित कराने जैसी महत्वपूर्ण कार्यवाहियों में क्रमशः 29.3, 38.5, 10.4 तथा 7.5 प्रतिशत का अंतर है, जबकि पुलिसजन यह बताते हैं कि वह घायलों को चिकित्सालय पहुंचाते हैं और अस्पृश्यता के विरूद्ध प्रचार भी करते हैं, जबकि सामान्यजन पुलिस द्वारा इन कार्यवाहियों को किया जाना स्वीकार नहीं करते हैं।

इसी प्रकार बिहार राज्य में भी बेहद शर्मनाक घटना घटित हुई। पटना जिले की विधवा चानो देवी ने बेउर जेल के अधिकारियों से शिकायत की थी, कि पटना सिटी के चौक थाने के धवलपुरा चौकी के जवानों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जेल अधिकारियों ने उसे डॉक्टरी परीक्षण के लिए पटना मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भेजा। उसकी शिकायत पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। इधर आरोपित पुलिस वालों ने दुष्कर्म की बात से इनकार कर दिया था।

झारखंड के दलित भी पुलिसिया जुर्म के शिकार होने से नहीं बच पाए हैं। "मैं भूख से मर जाउंगी, लेकिन इस राज्य में नहीं रहूंगी। सरकार और प्रतिबंधित एम.सी.सी. की करतूतों में कोई अंतर नहीं रह गया है। नक्सलियों ने मेरे पिता को और सरकार ने मुझे पंगु बना डाला।" – यह कहना था, सोलह साल की जानकी भुइयां का, जिसे 25 जनवरी, 2003 को झारखंड पुलिस उसके घर 'गारिकाला' से उठा ले गई। उसका जुर्म यह था कि वह माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र के एरिया कमांडर सोहन भुइयां की बेटी थी। सोहन को ढूंढने आई पुलिस उसे न पाकर उसकी बेटी और पत्नी को ही उठा ले गई। दोनों निर्दोष होने की दलील देती रहीं, परंतु पुलिसिया जुल्म जारी रहा। बाद में जानकी की मां तो छोड़ दी गई, लेकिन जानकी पर 'पोटा' लगा केरदारी थाना भेज दिया गया।

जानकी अकेली नहीं है, जिस पर वर्दीधारियों ने जुल्म ढाया हो। न जाने कितनी नाबालिग लड़कियों को वर्दी वालों का जुल्म सहना पड़ा, पड़ रहा है बल्कि बलात्कार का शिकार भी होना पड़ा और हो रही हैं।

झारखंड के ही गुमला जिले के पालकोट थाना के तहत टिरा मसोरी टोली गांव की 'रूपनी कारिया' को भी पुलिस ने पोटा के तहत गिरतार किया। अपने गांव में अकेली मैट्रिक पास और महिलाओं के बीच शिक्षा प्रसार के लिए काम कर रही कारिया पर पुलिस ने नक्सलियों से सांठ–गांठ का आरोप लगाया, लेकिन वह इस आरोप की


PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

पुष्टि नहीं कर सकी। बावजूद इसके कारिया पोटा के तहत जेल में डाल दी गई।

अब रही हमारे देश की आत्मा दिल्ली की बात, यहां भी बलात्कार जैसे जघन्य अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 16 मई, 2007 को आज तक न्यूज चैनल द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि निर्मल छाया कक्षा नौवीं की छात्रा के साथ एक दरिंदे द्वारा बलात्कार किया गया। छात्रा ने विद्यालय प्रशासन को यह जानकारी दी कि वह विद्यालय से बाहर रेहड़ी लगाने वाले मोहन के पास ठंडा पानी पीने गई थी। मोहन उसे बहला–फुसलाकर एक निर्जन स्थान पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। डॉक्टरी जांच के पश्चात् बलात्कार की पुष्टि हो चुकी है। संस्था की प्रमुख ने अपराधी के खिलाफ पास के थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर जेल की हवा खिला दी। अपराधी मोहन तीन बच्चे का बाप भी है।

दलित और आदिवासियों द्वारा झेली जा रही समस्याओं के रूप अलग–अलग हैं। दलितों पर उत्पीड़न का प्रमुख विषय अस्पृश्यता रहा है। इन्हें मंदिर, कुंए, तालाब, स्कूल आदि के प्रयोग के लिए अभी तक रोका जा रहा है। इनकी आवासीय स्थिति अमानवीय है और उन्हें भूमि व अन्य संपत्ति से वंचित रखा गया है। घृणित पेशे करने के लिए इन्हें मजबूर किया जाता है और बेगार ली जाती है। दलितों के पहाड़ी व जंगली वास स्थानों पर कब्जा और साहूकारों व जमींदारों द्वारा उनका शोषण किया जाता है। वे शिक्षा और चिकित्सा आदि की सुविधाओं से भी वंचित रहते हैं। जंगलों की कटाई करने वाले ठेकेदारों के शोषण के भी वे शिकार होते हैं।

दलितों के उत्पीड़न को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाना आवश्यक है–

– दलित वर्गों का उत्पीड़न रोकने के लिए मानवाधिकार का सही तरीके से उपयोग हो।

– पुलिस प्रशासन मामले की निष्पक्ष जांच करे। यदि कोई पुलिस अधिकारी मामले की जांच में अनियमितता बरतता हुआ पाया जाए, तो उसके साथ सख्त–से–सख्त कार्यवाही हो।

– दलित वर्ग के लोग संगठित होकर रहें, क्योंकि बिना एकता के सम्मान की जिंदगी जीना मुश्किल है।

– समय–समय पर सरकार द्वारा दलितों की समस्याओं की समीक्षा हो और इसका निराकरण भी।

– अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए दलित वर्ग के लोगों को शिक्षित होना अनिवार्य है।

निष्कर्ष के तौर पर यही कहा जा सकता है कि देश की स्वयंसेवी संस्थाओं को दलित समाज की सुरक्षा के लिए दृढ़ता से आगे आना होगा। ये संस्थाएं दलितों के सतत संपर्क में रहकर दलित मानवाधिकार अतिक्रमण के मामलों को उजागर कर सकती हैं। उनके दुःख कष्टों का पारस्परिक सहयोग से निवारण ढूंढ सकती है। बुनियादी स्तर के संगठनों को और सशक्त बनाने एवं देश के प्रत्येक गांव में स्थानीय नेतृत्व उभारने के लिए दलित युवक–युवतियों की, खासकर वैसे शोषित प्रताड़ित युवाओं की, जिन्हें असामाजिक तत्वों ने अपना ग्रास बनाया और अकारण ही फंसाया हो, संगठित करने की सख्त जरूरत है। आज समाज के हर समझदार, संवेदनशील और विचारशील व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि वह अपने स्तर पर गांव, कस्बे, शहर में दलितों पर हो रहे उत्पीड़न और उनके मानवाधिकार हनन के खिलाफ लड़े, आवाज उठाएं, पारस्परिक सौहार्द कायम करने में मदद करें और अच्छे समाज के निर्माण में योगदान दें, जहां समाज के सभी व्यक्ति, चाहे किसी भी जाति, धर्म और सम्प्रदाय के हों–निर्भय होकर सम्मानपूर्वक जी सकें।

## संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. हम दलित–मई 2005, पृ.सं.11
2. राष्ट्रीय सहारा न्यूज चैनल, 10 मई, 2007
3. सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और पुलिस, पृ. 173–274
4. हम दलित, नवम्बर 2005, पृ.सं.39
5. जनसत्ता, दिनांक 17 दिसंबर, 2003, पृ.सं.03
6. आज तक न्यूज चैनल, 16 मई, 2007

*****


PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*